न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 47 / 2018 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2018 / 00396

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :–
1. परबतसिंह पुत्र स्व. देवीसिंहजी 2. बाबुसिंह पुत्र स्व. देवीसिंहजी 3. वेरसिंह पुत्र स्व. देवीसिंहजी, तमाम बालिग, जातिगण राजपूत, निवासीगण ग्राम चाणौद, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)		1. मृतक सरदारसिंह पुत्र चिमनसिंहजी के कायम मुकाम 1/1. जीवी कंवर पत्नी स्व. सरदारसिंहजी 1/2. छैलसिंह पुत्र स्व. सरदारसिंहजी 1/3. लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व. सरदारसिंहजी 1/4. मंजू कंवर पुत्री स्व. सरदारसिंहजी तमाम जातिगण राजपूत, निवासीगण चाणौद तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.) 1/5. सूरज कंवर पुत्री स्व. सरदारसिंहजी, पत्नी गणपतसिंह, निवासी ग्राम चाणौद, तहसील सुमेरपुर हाल ससुराल ग्राम डेन्डा, तहसील व जिला पाली (राज.) 1/6. अन्तर कंवर पुत्री स्व. सरदारसिंहजी, पत्नी शैतानसिंह, निवासी ग्राम चाणौद, तहसील सुमेरपुर हाल ससुराल ग्राम एन्दलावास (जुनी एन्दला), तहसील व जिला पाली (राज.) 2. सोहनसिंह पुत्र चिमनसिंहजी तमाम बालिग, जाति राजपूत निवासी ग्राम चाणौद, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.) 3. तीजो पत्नी उदारामजी, जाति चौधरी(सीरवी), निवासी ग्राम चाणौद, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.) 4. राजस्थान सरकार (भुमिधारी) जरिये तहसीलदार सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी उपस्थित
रेस्पोडेंट की और से अर्जुन सिंह राजपुरोहित उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 18-11-21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 235 स्वीकृत दिनांक 05.06.1993 जो अतिरिक्त तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम के मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। [illegible] अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को [illegible] सम्मन तलब किया गया तथा मूल नामान्तरकरण तलब किया जाकर [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:36:12 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अपीलांट ने [illegible] बहस कथन [illegible] कि ग्राम चाणौद पटवार हल्का चाणौद भू.अ.नि. क्षेत्र चाणौद तहसील सुमेरपुर के खसरा नम्बर 75 रकबा 3.13 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व खसरा नम्बर 97 रकबा 2.76 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, कुल खसरा 2 कुल रकबा 5.89 हैक्टेयर लगान 23.56 रूपये की कृषि भूमी खातेदारी आई हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमी राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी संवत 2048 से 2051 के अनुसार खातेदार सरदारसिंह, भबूतसिंह, सोहनसिंह पिसरान चिमनसिंह, कौम राजपूत की सहखातेदारी थी। जिसमें

क्रमशः....................2

जिला कलेक्टर, पाली

भबूतसिंह का राजस्व रेकर्ड अनुसार 1/3 वां हक–हिस्सा संयुक्त रूप से निहित था। उक्त कृषि भूमी के सहखातेदार स्व. श्री भबूतसिंह व अपीलांट्स के पिता स्व. देवीसिंह व रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 सगे भाई थे। स्व. भबूतसिंह अविवाहित लाऔलाद दिनांक 05.12. 1982 को फौत हो जाने पर उनकी खातेदारी में स्थित 1/3वां हक–हिस्से का अपीलाधीन जैर अपील नामान्तरकरण 235 भरा गया। उक्त जैर अपील नामान्तरकरण भरते समय पटवारी हल्का ने तमाम विधिक उत्तराधिकारियों व वारिशानों की जांच किये बिना रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 से मिलावट कर उनको फायदा पहुँचाने व अपीलांटगण जो स्व. भबूतसिंह के भाई स्व. देवीसिंह के विधिक वारिशान है को अपने हक अधिकार से वंचित रखने की नियत से उक्त नामान्तरकरण भर दिया गया। जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। भू.अ.नि. ने पटवार हल्का की रिपोर्ट को सही मानते हुए अपनी अनुशंसा कर दी तथा उक्त दोनों की रिपोर्ट को सही मानते हुए अतिरिक्त तहसीलदार सुमेरपुर ने स्व. भबूतसिंह के विधिक उत्तराधिकारियों व वारिशानों की जांच एवं सुनवाई किये बिना अपीलांटगण को बिना जांच व अवसर दिये ही नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 05.06.1993 रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के हक में स्वीकृत कर दिया। जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। क्योंकि स्व. भबूतसिंह कौम राजपूत व अपीलाण्टस के पिता स्व. देवीसिंह व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 सगे भाई थे व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची प्रथम के वर्ग 2 में अपीलाण्ट्स आते है जिससे स्व. भबूतसिंह की सम्पति में इनका कानूनन विधि अनुसार हक अधिकार होने से जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। उक्त कृषि भूमी में अपीलांट्स का 1/12 वां हिस्सा कानूनन होने से उनका जमाबन्दी में नाम होना था परन्तु राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का नाम इन्द्राज चला आ रहा है इस प्रकार स्पष्ट है कि जैर अपील नामान्तरकरण बिना विधिक वारिशानों की जांच किये एवं बिना उनको सूने भरा जाने से निरस्तनीय है। प्रतिवर्ष की भांति अपीलांट्स द्वारा इस वर्ष भी उपरोक्त कृषि भूमी पर काश्त करने पर रेस्पोडेंट व उनके परिवार वालों ने अपीलांट्स से कहा '' इस बार तो उक्त कृषि भूमि पर हम अकेले ही काश्त करेंगे। क्योंकि उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमी हमारे नाम की राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है, जिससे आप लोग उक्त कृषि भूमी में कोई हक–हिस्सा नहीं मांगते हो।'' तब पटवारी हल्का से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की जानकारी प्राप्त की एवं तहसील कार्यालय में आवेदन कर सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड व अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 235 की नकलें दिनांक 31.08.2018 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात राजस्व रेकर्ड की अन्य वांछित नकलें प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की गई तथा जानकारी होते ही बिना किसी देरी के यह अपील पेश की गई अतः अपीलांट के विधिक अधिकार एवं हक हकूक का प्रश्न होने से अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार फरमाते हुए जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने वक्त बहस कथन किया कि स्व. भबूतसिंह की मृत्यु वर्ष 1982 में ही हो चूकी थी। तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलांट्स द्वारा उनके विधिक उत्तराधिकारी होने का कोई साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किया है। अतः अपील काबिले खारिज है। तथा अपीलांट द्वारा अपील जैर अपील नामान्तरकरण भरे जाने के 25 वर्ष बाद पेश की गई है तथा म्याद से 1 दिन देरी से पेश करने के भी तर्कसंगत कारण का उल्लेख करना होता है लेकिन अप्रार्थी द्वारा तो 25 वर्षो बाद अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने तर्को की ताईद में RRD Sept., 2005, RRD Nov., 2005, Anandi Lal vs State of Rajasthan And ors. on 19 October, 1995, Chand Mal And Anr vs BOR Ajmer and Ors on 6 December, 2013 पेश किए।

पत्रावली में बहस सुनी गई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। इस अपील में विचारणीय बिन्दु दो है :–

1. क्या अपील अन्दर म्याद है ?
2. क्या अपीलार्थी विधिक [illegible] भी फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय वंचित रह गए ?

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:36:12 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांटगण के पिताजी [illegible] सिंह लाऔलाद फौत हो जाने पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनि[illegible] वारिशान की जांच कर उन्हें सुना जाकर जैर अपील नामान्तरकरण भरा जाना चाहि[illegible]था। उक्त खातेदारी भूमी में हक अधिकारों का प्रश्न होने तथा विधिक उत्तराधिकारीगण के नाम खातेदार की मृत्यु के पश्चात जैर अपील नामान्तरकरण में सभी वारिसान का नाम इन्द्राज नहीं करने से नामान्तरकरण ab initio void होने से म्याद के बिन्दु पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है एवं अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

जिला कलेक्टर, पाली

किसी व्यक्ति के फौत होने पर पुत्र, पुत्रियां, पत्नी व भाई हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा की अनुसूचि प्रथम के वर्ग 2 के अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने से उनका नाम जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना था भबूतसिंह की लाऔलाद मृत्यु होने पर उसके दो जीवित भाईयों सरदारसिंह व सोहनसिंह का नाम तो जैर अपील नामान्तरकरण में इन्द्राज किया गया लेकिन स्व. भबूतसिंह के अन्य विधिक उत्तराधिकारी स्व. देवीसिंह के पुत्रों का नाम इन्द्राज नहीं किया गया। अपीलांटगण के पिता स्व. भबूतसिंह के सगे भाई है तथा यह उनके मृत्यु प्रमाण पत्र के पीछे सरपंच द्वारा प्रमाणित सजरे से स्पष्ट है। तथा अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा भी इसका विरोध नहीं किया गया है। अतः सजरा अनुसार जैर अपील नामान्तरकरण भरा जाते समय स्व. देवीसिंह के जायन्दा जीवित संतानों का नाम भी जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना चाहिए था ऐसा नहीं कर अधिनस्थ अतिरिक्त तहसीलदार, सुमेरपुर द्वारा जैर नामान्तरकरण पारित कर भारी विधिक त्रुटि की है। तथा जैर अपील नामान्तरकरण पर प्रमाणित सजरा भी नही लगाया गया है। अतः ऐसे नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना विधिसम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 05.06.1993 ग्राम चाणौद जो अतिरिक्त तहसीलदार, सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत किया गया उसे अपास्त किया जाता है। एवं इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्वर्गीय भबूतसिंह के समस्त विधिक वारिसान को नोटिस देकर सुना जाकर बाद जांच नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 18-11-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:36:12 IST
Reason: SelfAttested